# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

## रैयती अपील वाद संख्या–11/2018–19

## राजकुमारी देवी बनाम राज्य

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 11/9/18 | **आदेश**<br>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना।<br>यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा बकास्त रैयती भूमि विविध वाद सं0 20/2016–17 में दिनांक 28.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है।<br>**आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–**<br>(1) फतुहॉ अंचल अंतर्गत मौजा मसाढ़ी थाना नं0 84 खाता नं0 288 खेसरा सं0 451 रकवा 25डी0 रामाधार सिंह, पिता राम पवितर सिंह के द्वारा दिनांक 21.06.1976 के निबंधित केवाला से खरीदी गयी भूमि है। खरीदगी के पश्चात क्रेता उक्त भूखण्ड पर दखल में आये तथा दाखिल खारिज होकर उनके नाम से लगान रसीद निर्गत की जाने लगी।<br>(2) रामाधार सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी राजकुमारी देवी (आवेदिका) प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आयी तथा उनके नाम से दाखिल खारिज कर जमाबंदी सं0 38 कायम की गयी। भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र एवं लगान रसीद भी निर्गत की गयी।<br>(3) प्रश्नगत भूखण्ड बिहटा सरमेरा राज्य पथ सं0 78 के निर्माण हेतु अर्जित की गयी है। आवेदिका के द्वारा अंचलाधिकारी, फतुहॉ को जमीन संबंधी सभी कागजात उपलब्ध कराये गये, परन्तु उनके पत्रांक 471 दिनांक 27.05.2016 से गलत तथ्य भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को प्रेषित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा बिना कोई नोटिस निर्गत किए विविध वाद सं0 20/2016–17 के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2016 के आदेश से प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया।<br>(4) आवेदिका को जब दिनांक 03.07.2018 को इस आशय की जानकारी मिली तो उनके द्वारा आदेश का नकल प्राप्त कर यह अपील दायर की गयी है।<br>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विविध वाद सं0 20/2016–17 में दिनांक 28.05.2016 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।<br>बकास्त रैयती भूमि विविध वाद सं0 20/2016–17 में दिनांक 28.05.2016 को पारित आदेश का अवलोकन किया। आदेश से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा आवेदिका का पक्ष सुने | |

बिना आदेश पारित किया गया है। आदेश में अंकित है प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी आवेदिका के नाम से कायम नहीं है, जबकि आवेदिका के द्वारा अपनी जमाबंदी सं0 38 कायम होने की बात कही जा रही है।

अतः यह वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को प्रतिप्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि वे आवेदिका का पक्ष सुनकर तथा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की समीक्षा कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

11/9/13

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

11/9/13

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना